



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2095]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 2095]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2646(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिसमें सा.का.नि. 950(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12 जनवरी 2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013, और सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014, द्वारा संशोधन किए गए थे, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना का. आ. 2808(अ), दिनांक 03.11.2014 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर 29.300 कि.मी. से 86.000 कि.मी. (दिल्ली/हरियाणा (कुडली) सीमा से पानीपत सेक्शन तक चार और अधिक लेन के खण्ड के उपयोग के लिए शुल्क अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, और इसके संशोधन के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 2808(अ), दिनांक 03.11.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

टिप्पणियों के पैरा 1 और 2 के अधीन टोल प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा:

विद्यमान के स्थान पर	निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा
51.400 कि.मी. पर (सोनीपत जिले में गांव मूरथल के पास)	53.600 कि.मी. पर (सोनीपत जिले में गांव भागन के पास)

[फा. सं. भाराराप्रा/सीओ/14-15/पकाइ अम्बाला/मूरथल]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2646(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated12th October, 2011, G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013 & G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, the Central Government, vide notification S.O. 2808(E) dated 03.11.2014 authorized National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, fee for use of the four and more lane section from kilometer 29.300 to kilometer 86.000 [Delhi/Haryana (Kundli) Border to Panipat section] on the National Highway No. 1 in the State of Haryana.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and its amendment thereof, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification published vide S.O. 2808(E) dated 03.11.2014.

The location of Toll Plaza (chainage) under para 1 & 2 of notes shall be read as follows:

In place of existing	Shall be substituted as
At km 51.400 (near Village Murthal in Sonapat district)	At km 53.600 (near Village Bhagan in Sonapat district)

[F. No. NHAI/ CO/ 14-15/ PIU Ambala / Murthal]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.